

यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं (0135) - 2712055, 271:  
फैक्स नं (0135) - 2712014, 271:

संख्या 2165 / XXV-12 / 2008 (P-3)

देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 20

सेवा में,

श्री रेशू सूर्या पुत्र श्री दिनेश कुमार,  
म0नं0-1712 / 1, सेक्टर-39-बी,  
चंडीगढ़-160036

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र का सन्दर्भ ग्रहण का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

- बिन्दु संख्या-01, 02 एवं 06 जिला निर्वाचन कार्यालयों से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।
- बिन्दु संख्या-03 में चाही गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि आउटसोर्स पर तैनात कार्मिक उपनल एवं पी0आर0डी0 के माध्यम से रखे जाते हैं।
- बिन्दु संख्या-04 से 07 तक में चाही गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य निर्वाचन उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती सचिव, उत्तराखण्ड प्रावधिक शिक्षा परिषद, रुड़की के माध्यम से की गयी है।
- बिन्दु संख्या-08 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है मुख्य निर्वाचन अधिकारा संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का नियमितिकरण के लिए विनियमितीकरण नियमावली 2013 एवं संख्या 171 दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 के अनुसार किया गया है।
- बिन्दु संख्या-09 एवं 10 में चाही गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि नियमतिकरण ए0सी0पी0 एवं पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है।
- बिन्दु संख्या 11 से 17 तक में चाही गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि विभागीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-  
विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
04-सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून।  
कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय का लाभ नहीं दिया जाएगा।

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
04-सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून।  
कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

पृष्ठ संख्या 2165 / XXV-12(1-5) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- लोक सूचना अधिकारी, समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड आवेदक को बिन्दु संख्या 01, 02 एवं 06 पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

२१/७/१७

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,  
निर्वाचन, योजना भवन, प्रथम तल, सचिवालय, देहरादून।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार आपके विभाग में उत्तराखण्ड राज्य गठन से वर्तमान तक दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक, आउटसोर्स (उपनल, पी0आर0डी0 एवं होमगार्ड्स) तथा तदर्थ रूप से कितने कार्मिकों की नियुक्ति की गई है की सूचना बिन्दुवार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या-1 आपके विभाग में दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक, आउटसोर्स (उपनल, पी0आर0डी0 एवं होमगार्ड्स) तथा तदर्थ रूप से कितने कार्मिकों की नियुक्ति की गई है?

बिन्दु संख्या-2 उक्त तिथि में रिक्त पदों का विवरण क्या था एवं रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति की गई अथवा उससे अधिक पदों पर नियुक्ति की गई? यदि रिक्त पदों से अधिक पर नियुक्ति की गई तो किस शासनादेशानुसार?

बिन्दु संख्या-3 नियुक्ति परीक्षा के आधार पर की गई अथवा बिना परीक्षा के आधार पर।

बिन्दु संख्या-4 नियुक्ति हेतु विज्ञापन किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया का विवरण।

बिन्दु संख्या-5 परीक्षा का सम्पादन किस एजेंसी द्वारा कराया गया।

बिन्दु संख्या-6 क्षैतिज आरक्षण का अनुपालन किया गया अथवा नहीं।

बिन्दु संख्या-7 चयन समिति का गठन किया गया अथवा नहीं।

बिन्दु संख्या-8 उक्त कार्मिकों का नियमितिकरण कितने वर्ष में किया गया तथा किस शासनादेशानुसार किया गया।

बिन्दु संख्या-9 नियुक्त कार्मिकों को नियमितिकरण से पूर्व ए0सी0पी0 का लाभ दिया गया अथवा नहीं। यदि दिया गया है तो किस शासनादेशानुसार दिया गया है।

बिन्दु संख्या-10 तदर्थ कर्मचारियों को नियमितिकरण से पूर्व पदोन्नति का लाभ दिया गया अथवा नहीं। यदि दिया गया है तो किस शासनादेशानुसार दिया गया है।

RJ/PIO

M/N  
21/7/2017  
21/7/2017

Sh. सेप्रवाल

B.S. Rawat  
21.7.2017  
P.I.O. /S.O.

बिन्दु संख्या-11 उत्तराखण्ड गठन (वर्ष 2000) से वर्तमान (वर्ष 2017) तक से वर्षवार नियुक्त कर्मचारियों का विवरण पदनाम सहित?

बिन्दु संख्या-12 नियुक्त किया गया कार्मिक जिस पद हेतु नियुक्त किया गया क्या वह भर्ती के दौरान उस पद की शैक्षिक योग्यता अर्ह करता था अथवा नहीं?

बिन्दु संख्या-13 नियुक्त किया गया कार्मिक क्या उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी था अथवा नहीं?

बिन्दु संख्या-14 उक्त कार्मिक का उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय से पंजीकृत था अथवा नहीं?

बिन्दु संख्या-15 कार्मिकों की भर्ती समूह क, ख, ग तथा घ के कितने-कितने पदों पर गई?

बिन्दु संख्या-16 भर्ती के समय कार्मिक की आयु पद के सापेक्ष थी अथवा नहीं?

बिन्दु संख्या-17 नियुक्ति के दौरान विभागीय सेवानियमावली प्रवृत्त थी अथवा नहीं? यदि थी तो क्या नियमावली के आधार पर नियुक्ति की गई अथवा नहीं?

अतः बिन्दु संख्या 01 से 17 तक की सूचना बिन्दुवार समस्त नोटिंग, ड्राफिटिंग एवं अन्य प्रपत्रों की छायाप्रति सहित 10 दिन के अंतर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:

रु0 10.00 का पोस्टल आर्डर संख्या - 37R 893009

प्रार्थी

हस्ताक्षर- Roshni Surya

नाम- रेश्मा सूर्या

पता- H.NO-1712/1 Sector- 39-B Pincode - 160036

मोबाइल नं- 8054189328